# न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

**पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.**

**राजस्व वाद संख्या 63 / 2025** **जीसीएमएस मु.न. 2025 / 154**

**अनवान**

1. पुनमाराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. बाबुलाल पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. बाबुलाल पुत्र अभाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।

**वादीगण......**

1. भगवानाराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. किशनाराम पुत्र अभाराम जाति विश्नोई निवासी वोढा तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर।

**प्रतिवादीगण...........**

**दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति :–

1. श्री जालाराम पूनिया वादीयागण अधिवक्ता।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार विश्नोई।
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

**दिनांकः–13.02.2026**

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा वोढ़ा, पटवार हल्का खारा में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि वर्तमान खाता संख्या 25 में खसरा नम्बर 192 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 2.12 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 194 रकबा 2.91 हैक्टेयर, कुल रकबा 6.52 हैक्टेयर दर्ज है, जिसे आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी कहा जाएगा। उक्त भूमि पूर्व में पुराना खसरा नम्बर 206 रकबा 40 बीघा 05 बिस्वा थी, जिससे द्वितीय सेटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 192, 193 व 194 का सृजन हुआ। उक्त भूमि पूर्व में रामचन्द्र पुत्र गोरखा के नाम दर्ज थी। रामचन्द्र अविवाहित एवं निर्वसीयत, निरूसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बराबर–बराबर अधिकार मिलना था, किन्तु राजस्व अभिलेख में फौतेदगी नामान्तरण संख्या 20 दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि से भगवाना पुत्र भीखा के स्थान पर भगवाना पुत्र रामचन्द्र तथा किशनाराम पुत्र अभाराम के स्थान पर किशनाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज कर दिया गया तथा वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिससे वादीगण अपने वैधानिक अधिकार से वंचित हो गये। वास्तव में स्व. रामचन्द्र के

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

दादा गोरखाराम के तीन पुत्र भीखाराम, अभाराम व रामचन्द्र थे। रामचन्द्र की निर्वसीयत एवं निरूसंतान मृत्यु होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जमाबंदी की नकल ई–मित्र से प्राप्त होने पर उक्त त्रुटि की जानकारी मिली। दिनांक 11.07.2025 को तहसील कार्यालय से प्रमाणित नकल प्राप्त कर हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सांचौर से रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं वादीगण का नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया, किन्तु उन्होंने इंकार कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। अतः निवेदन है कि सरहद मौजा वोढ़ा, पटवार हल्का खारा के खाता संख्या 25 के खसरा नम्बर 192, 193 व 194 कुल रकबा 6.52 हैक्टेयर भूमि में स्व. रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण के वैधानिक हिस्से के अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्ती कर खातेदारी घोषणा की डिक्री प्रदान की जाए। वादी पुनमाराम पुत्र भीखाराम एवं बाबूलाल पुत्र भीखाराम का प्रत्येक 1/6 हिस्सा, वादी बाबूलाल पुत्र अभाराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी भगवाना का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी किशनाराम का 1/4 हिस्सा अनुसार खातेदारी घोषित की जावे।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 18.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाकर तलब किया, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार विश्नोई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार विश्नोई द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– दावा का अवतरण संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 सही होने से स्वीकार हैं। अवतरण संख्या 6, 7, 8 एवं 9 कानूनी प्रकृति के हैं। अवतरण संख्या 10 अनुतोष सही व सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रस्तुत वंशावली सही है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी भगवाना का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी किशनाराम का 1/4 हिस्सा अनुसार मौके पर हमारा कब्जा–कास्त है तथा वहाँ हमारी रहवासी ढाणियां, बेरे आदि बने हुए हैं। स्वर्गीय रामचन्द्र के अविवाहित व निःसंतान निधन होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार वादीगण व हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके विधिक वारिस हैं। अतः अपने–अपने हिस्से के अनुसार खातेदारी घोषणा प्राप्त करने हेतु काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि वलीयत/रेकॉर्ड दुरुस्ती करते हुए हमारे जवाब के अवतरण संख्या 3 में वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदारी घोषणा की डिक्री हमारे पक्ष में जारी की जाये। साथ ही काउंटर क्लेम बाबत खातेदारी घोषणा सरहद मौजा वोढ़ा, पटवार हल्का खारा के वर्तमान खाता संख्या 25 में खसरा नं. 192 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नं. 193 रकबा 2.12 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 194 रकबा 2.91 हैक्टेयर, कुल रकबा 6.52 हैक्टेयर भूमि स्व. रामचन्द्र के नाम दर्ज थी। उनके अविवाहित व निःसंतान निधन के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके विधिक वारिस हैं, जिससे उक्त भूमि में हमारा अधिकार स्थापित हो चुका है। मौके पर हमारी रहवासी ढाणी, पक्के मकान व बेरे आदि स्थित हैं। अतः हिस्सानुसार कृ वादी पुनमाराम पुत्र भीखाराम व बाबूलाल पुत्र भीखाराम प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 3 बाबूलाल पुत्र अभाराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी किशनाराम का 1/4 हिस्सा मानते हुए उक्त आराजी की रेकॉर्ड दुरुस्ती कर खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी करने की प्रार्थना है। अतः जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त भूमि के दावे मे उल्लेखित हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा वादीगण व हम प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी फरमावें तो हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नही है। जवाब व काउन्टर क्लेम हमे पढकर सुनाया, सुन समझ सही होना स्वीकार कर राजी—खुशी, अंगूठा हस्ताक्षर किये है।

4. वादीगण की ओर से गवाह पीडब्ल्यु—1 पुनमाराम के बयान लेखबद्ध किये गये तथा वादीगण की ओर से प्रदर्श 1 से प्रदर्श 6 दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये।

5. प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा वोढ़ा, पटवार हल्का खारा में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि वर्तमान खाता संख्या 25 में खसरा नं. 192 रकबा 1.49 है., 193 रकबा 2.12 है. व 194 रकबा 2.91 है., कुल 6.52 हैक्टेयर दर्ज है, जिसे आगे वादग्रस्त आराजी कहा गया है। यह भूमि पूर्व में पुराना खसरा नं. 206 रकबा 40 बीघा 05 बिस्वा थी, जिससे द्वितीय सेटलमेंट में खसरा नं. 192, 193 व 194 बने। उक्त भूमि पूर्व में रामचन्द्र पुत्र गोरखा के नाम दर्ज थी, जिनकी निर्वसीयत व निरूसंतान मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को बराबर अधिकार मिलना था, किन्तु फौतेदगी नामान्तरण संख्या 20 दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि से भगवाना पुत्र भीखा व किशनाराम पुत्र अभाराम के स्थान पर उनके नाम रामचन्द्र पुत्र के रूप में दर्ज हो गए तथा वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ। जमाबंदी नकल प्राप्त होने पर त्रुटि का पता चला और तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया, परन्तु कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थना है कि खाता संख्या 25 के खसरा नं. 192, 193 व 194 कुल 6.52 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के वैधानिक हिस्से अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्ती कर खातेदारी घोषित की जाए। वादी पुनमाराम व बाबूलाल (पुत्र भीखाराम) का प्रत्येक 1/6 हिस्सा, वादी बाबूलाल (पुत्र अभाराम) का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी भगवाना का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी किशनाराम का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे।

6. प्रतिवादी अधिवक्ता अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दावा का अवतरण संख्या 1 से 5 सही होने से स्वीकार हैं। अवतरण संख्या 6 से 9 कानूनी प्रकृति के हैं। अवतरण संख्या 10 सही होने से स्वीकार है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके विधिक वारिस हैं। अतः अपने—अपने हिस्से के अनुसार खातेदारी घोषणा हेतु काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। मौजा वोढ़ा, पटवार हल्का खारा के वर्तमान खाता संख्या 25 में खसरा नं. 192 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नं. 193 रकबा 2.12 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 194 रकबा 2.91 हैक्टेयर, कुल रकबा 6.52 हैक्टेयर भूमि स्व. रामचन्द्र के नाम दर्ज थी। अतः हिस्सानुसार पुनमाराम पुत्र भीखाराम व बाबूलाल पुत्र भीखाराम प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, बाबूलाल पुत्र अभाराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी भगवाना का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी किशनाराम का 1/4 हिस्सा मानते हुए रिकॉर्ड दुरुस्ती कर खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी करने की प्रार्थना है।

हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का व साक्ष्यों का गहनता से भली—भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। Exp- 6 जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 के खाता संख्या 80 में खेत खसरा संख्या 206,

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

199, 202, 203, 205 की आराजी रामचंद्र पुत्र गोरखा कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, रामु वल्द मोती विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है। **Exp- 2** नामान्तरकरण संख्या 20 अनुसार पुराना खसरा संख्या 206 रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजचंद्र वल्द गोरखा कौम विश्नोई सा. देह खातेदार के फौत होने पर किशना, भगवाना पि. रामचंद्र, कौम विश्नोई, सा.देह खातेदार दर्ज है। **Exp- 1** जमाबंदी संवत् 2075–2078 के नया खाता संख्या 25 में खेत खसरा संख्या 192 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 2.91 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.52 हैक्टेयर की आराजी किशना वल्द रामचंद्र 1/2 हिस्सा, भगवाना पुत्र रामचंद्र 1/2 हिस्सा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज है।

8. वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेखित किया है कि पुराना खसरा संख्या 206 रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा से नवसृजित खसरा संख्या 192, 193, 194 सृजित हुए है। रामचंद्र अविवाहित नाऔलाद फौत होने होने से उनकी वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बराबर– बराबर आराजी दर्ज न कर राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल से भगवाना वल्द भीखा की जगह भगवाना पुत्र रामचंद्र व किशनाराम वल्द अभाराम की जगह किशनाराम पुत्र रामचंद्र जरिये नामान्तरकरण संख्या 20 के दर्ज कर दिया जबकि रामचंद्र नाऔलाद, अविवाहित फौत होने से वादग्रस्त आराजी में वादीगण पुनमाराम पुत्र भीखाराम प्रत्येक का 1/6 हिस्सा वादी संख्या 3 बाबुलाल पुत्र अभाराम का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी किशनाराम का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावें।

9. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादपत्र का खण्डन न कर ईकबाली जवाब व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में उल्लेखित तथ्य सही होने से स्वीकार है तथा उपरोक्त आराजी में वादी पूनमाराम, बाबुलाल पि. भीखाराम प्रत्येक का 1/6 , 1/6 हिस्सा वादी संख्या 3 बाबुलाल का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 किशनाराम का 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जावें। इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश वंशावली अनुसार गोरखाराम के तीन पुत्र भीखाराम, अभाराम, राजचंद्र है तथा रामचंद्र नाऔलाद अविवाहित फौत है उक्त वंशावली को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किया है वादी संख्या 1 पूनमाराम ने अपना साक्ष्य शपथ–पत्र पेश कर पेश कर प्रदर्श 1 से प्रदर्श 6 तक दस्तावेजात् प्रदर्शित करवायें।

10. इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने ईकबालीया जवाब व काउन्टर क्लैम से किया है। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार को जवाब का समुचित अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया है तथा रामचंद्र वल्द गोरखाराम के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा कोई अन्य उत्तराधिकारीगण हो ऐसा कोई दस्तावेजात् पत्रावली में पेश नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पेश वाद व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

**–:: आदेश ::–**

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाके सरहद मौजा वोढा, पटवार हल्का खारा के नवीन खसरा संख्या 192 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 2.91 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.52 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 पूनमाराम पुत्र भीखाराम, वादी संख्या 2 बाबुलाल पुत्र भीखाराम, प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम का 1/6 –

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

1–6 हिस्सा वादी संख्या 3 बाबुलाल पुत्र अभाराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 किशनाराम पुत्र अभाराम का 1/4 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा पूर्ति हो। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

## (आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

## (civil procedure code, Appendix "D"-1)

## अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

## पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

**अनवान**

1. पुनमाराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. बाबुलाल पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. बाबुलाल पुत्र अभाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।

**वादीगण......**

1. भगवानाराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. किशनाराम पुत्र अभाराम जाति विश्नोई निवासी वोढा तहसील सांचौर जिला जालोर।
3. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर।

**प्रतिवादीगण...........**

**अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 63 / 2025**

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जालाराम पूनिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार विश्नोई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा वोढा, पटवार हल्का खारा के नवीन खेत खसरा संख्या 192 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 2.91 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.52 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 पूनमाराम पुत्र भीखाराम, वादी संख्या 2 बाबुलाल पुत्र भीखाराम, प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम का 1 / 6 – 1–6 हिस्सा वादी संख्या 3 बाबुलाल पुत्र अभाराम का 1 / 4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 किशनाराम पुत्र अभाराम का 1 / 4 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे, इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जावे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्ते मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/02/2026 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
सांचौर, जिला- जालोर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

अनवान पुनमाराम बनाम भगवानाराम
मुकदमा नम्बर 63/2025
निर्णय तारीखः– 13.02.2026

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दयलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 2 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 | 00 | जवाबदावा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 00 |
| महनताना वकील | 0 | 00 | महनताना वकील | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| मुतफरिक | 0 | 00 | मुतफरिक | 0 | 00 |
| मौजाना | 4 | 00 | मौजाना | 1 | 00 |

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
सहायक कलक्टर सांचौर
जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर